न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–590 / 2026
सालिमपुर थाना कांड संख्या–184 / 2025
अंतर्गत धारा–80, 238, 3(5) बीएनएस

01.08.2026 याचिकाकर्ता 1. राम नाथ शर्मा की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–482 के अंतर्गत दिनांक–05.06.2026 को अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि, अंतर्गत धारा–80, 238, 3(5) बीएनएस से संबंधित सालिमपुर थाना कांड संख्या–184 / 2025, दिनांक–06.07.2025, के नामित अभियुक्त हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि, आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कहना है कि, आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं, वे एक वृद्ध व्यक्ति हैं, इनके द्वारा कोई अपराध–कारित नहीं किया गया है। अभियोजन घटना बिल्कुल गलत एवं मनगढ़ंत है। मृतका ससुराल में ठीक ढंग से रह रही थी। आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। पिंकी कुमारी और मंजूली देवी को मान्नीय उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत का लाभ क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर–23171 / 2026, दिनांक–06.05.2026 के द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है। पिंकी कुमारी मृतका की ननद हैं और मंजूली देवी मृतका की सास हैं। विनोद शर्मा जोकि मृतका के ससुर हैं, उनका भी मान्नीय उच्च न्यायालय से क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर–26289 / 2026, दिनांक–20.04.2026 के द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है। आवेदक का भी मामला समान आधार का है क्योंकि इन पर भी समान आरोप लगाए गए है। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, इस कांड के सूचिका–रीता देवी हैं, जोकि मृतका–कृति कुमारी की मां है, इनका कहना है कि, उन्होंने अपनी पुत्री की शादी दिनांक–08.05.2025 को ग्राम–काला दियारा में रविन्द्र कुमार के साथ हिन्दु रीति–रिवाज के अनुसार की थी। शादी में उपहार–स्वरूप आठ लाख रूपया नगद, सोने का चैन, अंगूठी, अपाची मोटरसाइकिल, गोदरेज वगैरह दिए थे। शादी के बाद उनकी पुत्री ससुराल गई, वहां कुछ दिन ठीक से रही, उसके बाद ससुराल के लोग दहेज के रूप में नगद पैसा तथा फ्रीज मांग कर लाने के बोलने लगे, जब कृति कुमारी ने ऐसा करने से मना किया तो उनके साथ गाली–गलौज और मार–पीट करने लगे, उसने फोन कर अपने मायके वाले को बताया कि, ससुराल वाले उसके साथ दहेज के लिए मार–पीट करते हैं और मानसिक तथा शारीरिक रूप–से प्रताड़ित करते हैं और कहते हैं कि, पैसा नहीं दोगी तो जान से मार देंगे। तब, उसे कुछ दिन के लिए सूचिका के पति उसे सबनीमा लेकर आए। दिनांक–29.06.2025 को रविन्द्र

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–590 / 2026
सालिमपुर थाना कांड संख्या–184 / 2025
अंतर्गत धारा–80, 238, 3(5) बीएनएस

लगातार

01.08.2026

कुमार सबनीमा आए और बोले कि, अब हमलोग मार–पीट नहीं करेंगे तथा वे उसे अपने साथ अपने घर लेकर चले गए। 2–3 दिन के बाद पुनः, मृतका का फोन आया कि, रवीन्द्र शर्मा, विनोद शर्मा, रॉबिन कुमार, पिंकी कुमारी, राम नाथ शर्मा एवं उसकी सास दहेज के लिए दहेज के लिए मार–पीट कर रहे हैं और खाना भी बंद कर दिए हैं और कह रहे हैं कि, दहेज नहीं लाओगी तो जान से मार देंगे, इतना कहकर उसने फोन रख दिया। दिनांक–06.07.2025 को उसके ससुराल से फोन आया कि, कृति कुमारी की मृत्यु हो गई है और वह फांसी पर लटकी हुई है। सूचना पाकर सूचिका अपने परिवार वालों के साथ काला दिया पहुंची तो वहां ससुराल में कोई नहीं था और उसकी पुत्री के शव का भी पता नहीं चल रहा था, जिससे कि, उन्हें विश्वास हो गया कि, सभी लोगों के द्वारा उनकी पुत्री की हत्या कर उसकी लाश को कहीं छुपा दिया गया है।

कांड दैनिकी के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, कांड दैनिकी के कंडिका–3 में वादिनी का पुनः, ब्यान में घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया है। कंडिका–6 में प्रथम घटनास्थल एवं कंडिका–7 में द्वितीय घ ाटनास्थल बताया गया है, जहां शव को छिपाकर रखा गया था, जहां से मृतका के शव को बरामद किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका–8 में साक्षी–लल्लू मिस्त्री, कंडिका–9 में साक्षी–सुनील कुमार एवं कंडिका–10 में साक्षी–प्रिंस कुमार का ब्यान है, इन सभी लोगों ने अपने ब्यान में घटना का समर्थन करते हुए बताया है कि, आवेदक के साथ अन्य अभियुक्तगण मिलकर मृतका–कृति कुमारी को दहेज के हत्या कर दिए हैं और सभी लोगों ने यह भी कहा है कि, मृतका ने घटना के पहले इस बात की सूचना फोन से अपने परिवार वालों को दिया था कि, सभी लोग मिलकर मार–पीट किए हैं और खाना बंद कर दिए हैं तथा धमकी दिए हैं कि, दहेज नहीं लाओगी तो जान मार कर गंगा नदी में फेंक देंगे और फोन रख दी। उसमें, उसने आवेदक के बारे में भी घटना–कारित करने के संबंध में कहा था।

अंतपरीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला घोंटना बताया गया है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है, इनके विरूद्ध मृतका–कृति कुमारी की हत्या कर लाश को जिनेरा लगे हुए खेत में छिपा दिया गया था जोकि, उनके घर से दो किलोमीटर दक्षिण–पश्चिम में अवस्थित है, जहां से शव को बरामद किया गया था।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा कारित अपराध में इनकी संलिप्तता को देखते हुए आवेदक अभियुक्त–1. राम नाथ शर्मा को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः, अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–590 / 2026
सालिमपुर थाना कांड संख्या–184 / 2025
अंतर्गत धारा–80, 238, 3(5) बीएनएस